संख्या-182/2017/2940/26-3-2017-4(59)/2015

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 12 दिसम्बर 2017

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बस्ती के स्वीकृत किये गये अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-93/2015/2695/26-3-2015-4(59)/2015, दिनांक-04.09.2015, निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-678-79/स.क./विकास/एकीकृत/82-बस्ती/2016-17, दिनांक-19.07.2016 एवं पत्रांक-1070/स0क0/विकास/एकीकृत विकास योजना-82/2016-17, दिनांक-18.10.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बस्ती में विकास कार्यो (सी.सी.रोड/के0सी0ड्रेन, इन्टरलाकिंग एवं यू.टाइप ड्रेन के निर्माण) को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रूपया-426.13 लाख (रूपया चार करोड़ छब्बीस लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद-बस्ती (लाख रूपये में)

क्र सं	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि की स्वीकृति
1	रामनगर	पिपरहिया	सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन, इन्टरलाकिंग एवं यू-टाइप ड्रेन का निर्माण	138.08	50.00	88.08
2	"	नकथर	"	165.43	50.00	115.43
3	"	शंकरपुर	"	161.41	50.00	111.41
4	"	गन्धरियाबुर्जुग	"	161.21	50.00	111.21

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			कुल योग	**626.13**	**200.00**	**426.13**

(रूपया-चार करोड़ छब्बीस लाख तेरह हजार मात्र)

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था ''उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0'' से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर तत्काल धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायोगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन/निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य''के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ0संख्या-182/2017/2940(1)/26-3-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती।
3.निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5.प्रबन्ध निदेशक/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 गोरखपुर इकाई।
6.जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती।
7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
9.गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।